न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी	:::	मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)
मिसल नं.	:::	182 / 2021
सरकार	बनाम	फूलचन्द पुत्र म्हादाराम, जाति–अहीर, निवासी– कुशलपुरा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 30.12.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल फूलचन्द पुत्र म्हादाराम, जाति–अहीर, निवासी–कुशलपुरा द्वारा रोही मौजा कुशलपुरा की राजकीय भूमि ख.नं. 120 के कुल रकबा 9.06 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.005 है0 भूमि पर दुकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया है, जिसमें उसने अपना पुराना कब्जा बताया। अपने कब्जे के समर्थन में तहसीलदार चिड़ावा द्वारा दिनांक 18 जनवरी 1977 को जारी संनद की प्रति एवं विद्युत बिल की प्रति संलग्न की है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536 / 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन / नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। सनद में वर्णित भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ होने से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी सूरत में अमल दरामद संभव नही है। इस कारण गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं........45..........पर
वर्ष 2021-22......में रुपये....5/......कायम कि !
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़